

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 15342/2023

श्रीमती किशनी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री रतिराम , उम्र लगभग 81 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट बुगाला , जिला झुंझुनू

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ , सचिव के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय , साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011
2. सेना प्रमुख, सेना मुख्यालय, सेना भवन , नई दिल्ली-110011.
3. पीसीडीए (पेंशन), न्यू कैंट इलाहाबाद (यूपी) टी
4. द ओआईसी रिकॉर्ड्स, द जाट रेजिमेंट बरेली (उप्र)
5. केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र, भारतीय स्टेट बैंक (सीपीपीसी) एसबीआई चधंदनी चौक शाखा परिसर द्वितीय तल, चांदनी चौक , दिल्ली-110066
6. शाखा प्रबंधक, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया, शाखा झुंझुनू (राजस्थान)

-----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	सुश्री सुनीता मेहला, श्री संजय मेहला की ओर से अधिवक्ता, अधिवक्ता श्री नागेंद्र शर्मा, अधिवक्ता।
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	सुश्री निधि खंडेलवाल , एडवोकेट श्री हिमांशु जैन, एडवोकेट (वीसी के माध्यम से) श्री ऋषि राज माहेश्वरी के साथ

माननीय श्रीमान. जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

31/08/2024

अवनीश झिंगन. जे

1. यह याचिका सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, जयपुर बेंच (संक्षेप में न्यायाधिकरण) द्वारा पारित दिनांक 16.05.2023 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

2. रिट याचिका में शामिल एकमात्र मुद्दा वर्ष 1975 में सेवानिवृत्त एक रिजर्व सिपाही की पेंशन के अनजाने में गलत निर्धारण के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त पेंशन की वसूली से संबंधित है।
3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता स्वर्गीय श्री रतिराम की 81 वर्षीय विधवा हैं। याचिकाकर्ता के दिवंगत पति (जिन्हें आगे मृतक कहा जाएगा) 18.05.1960 को भारतीय सेना में सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे और 15 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 31.05.1975 से सेवामुक्त कर दिए गए थे। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) संख्या S / CORR/6th CPC/225087/2014 दिनांक 09.07.2014 के आधार पर मृतक की पेंशन 5102/- रुपये से घटाकर 3500/- रुपये कर दी गई और 2550/- रुपये प्रति माह की कटौती करके अतिरिक्त राशि की वसूली शुरू की गई। यह वसूली 01.01.2006 से 24.09.2012 तक की अवधि के लिए थी।
4. इस कार्रवाई से व्यथित होकर, मृतक ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया और पंजाब राज्य एवं अन्य बनाम रफीक मसीह (श्वेत वाशरी) एवं अन्य **(2015)4 SCC 334** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। आवेदन 16.05.2023 को खारिज कर दिया गया। अतः, वर्तमान रिट याचिका।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने के फैसले पर ध्यान दिया रफीक मसीह (सुप्रा) में इस पर विचार नहीं किया गया था। तर्क यह है कि वसूली स्थापित कानून का उल्लंघन है।
6. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय, पेंशन 3500 रुपये के बजाय गलती से 5102 रुपये निर्धारित कर दी गई थी। यह भी तर्क दिया गया कि यह कोई अकेला मामला नहीं है जिसमें गलती हुई हो।
7. निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं:-
 - (i) मृतक के ठीक होने के समय वह सेवानिवृत्त हो चुका था;
 - (ii) दिनांक 01/01/2006 से गलत तरीके से निर्धारित पेंशन का भुगतान किया गया तथा वर्ष 2014 में अर्थात् आठ वर्ष बाद वसूली का आदेश दिया गया;

(iii) ऐसा कोई आरोप नहीं है कि गलत निर्धारण मृतक द्वारा दी गई गलत जानकारी या गलत बयानी का परिणाम था ;

(iv) अंत में यह कि मृतक गुप-डी कर्मचारी था

8. रफीक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय मसीह (सुप्रा) को इस प्रकार रखा गया है:

"18. उन सभी कठिनाई की स्थितियों की कल्पना करना संभव नहीं है जो कर्मचारियों को वसूली के मुद्दे पर प्रभावित करेंगी, जहाँ नियोक्ता द्वारा गलती से उनके हक से अधिक भुगतान कर दिया गया हो। जैसा भी हो , ऊपर उल्लिखित निर्णयों के आधार पर, हम एक त्वरित संदर्भ के रूप में, निम्नलिखित कुछ स्थितियों का सारांश प्रस्तुत कर सकते हैं , जिनमें नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानूनन अस्वीकार्य होगी:

(i) श्रेणी-III और श्रेणी-IV सेवा (या समूह 'सी' और समूह 'डी' सेवा) से संबंधित कर्मचारियों से वसूली।

(ii) सेवानिवृत्त कर्मचारियों या ऐसे कर्मचारियों से वसूली, जो वसूली के आदेश के एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

(iii) जब अतिरिक्त भुगतान पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया गया हो तो वसूली का आदेश जारी होने से पहले कर्मचारियों से वसूली की जाएगी।

(iv) उन मामलों में वसूली जहां किसी कर्मचारी को गलत तरीके से उच्च पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता होती है, और उसे तदनुसार भुगतान किया गया है, भले ही उसे सही रूप से निम्न पद के विरुद्ध काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए थी।

(v) किसी अन्य मामले में, जहां न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि कर्मचारी से वसूली की जाती है तो वह इस सीमा तक अन्यायपूर्ण या कठोर या मनमानी होगी, जो नियोक्ता के वसूली के अधिकार के न्यायसंगत संतुलन से कहीं अधिक होगी।

19. अपीलकर्ता-पंजाब राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमें सूचित किया गया है कि इन अपीलों के सभी मामले निर्विवाद रूप से ऊपर वर्णित प्रथम चार श्रेणियों में आते हैं। अतः, उपर्युक्त अपीलों में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश (वसूली आदेश को निरस्त करते हुए), ऊपर वर्णित कारणों से, बरकरार माने जाएँगे। 20. अपीलों का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

9. प्रतिवादियों के अनुसार, रफीक मसीह (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित शर्तें वर्तमान मामले में पूरी होती हैं। हालाँकि, तर्क यह है कि यह कोई अकेला मामला नहीं है और इसका सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों के मामले पर भी प्रभाव पड़ेगा। यह अपने आप में देश के कानून का पालन न करने का आधार नहीं हो सकता। और तो और, जब पेंशन की गणना में हुई त्रुटि के लिए मृतक की कोई भूमिका नहीं बताई गई है।

10. मृतक की पेंशन से वसूली की कार्यवाही आठ साल बाद शुरू की गई। यह बात नज़रअंदाज़ नहीं की जा सकती कि जब वसूली शुरू की गई, तब याचिकाकर्ता उससे 39 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुका था और मामूली राशि की वसूली भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल बना देती।

11. निष्कर्ष निकालने से पहले यह ध्यान रखना उचित होगा कि न्यायाधिकरण ने पाया कि आवेदक ने वसूली कार्यवाही को चुनौती देने के लिए रफीक मसीह (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया था। हालाँकि, इस पहलू को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और उस पर विचार नहीं किया गया। यह माना गया कि अतिरिक्त भुगतान वितरण एजेंसी द्वारा गलती से किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार किए बिना यह कहा गया कि देश का एक कानून का पालन करने वाला नागरिक और सेवानिवृत्त सैन्यकर्मि होने के नाते, आवेदक का नैतिक कर्तव्य था कि वह प्राप्त अतिरिक्त राशि का भुगतान करे।

12. वर्तमान मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रफीक मसीह (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय से पूरी तरह आच्छादित है। न्यायाधिकरण का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा 01.01.2006 से 24.09.2012 तक भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली हेतु कार्यवाही शुरू करने की कार्रवाई को रद्द किया जाता है। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह वसूल की गई राशि याचिकाकर्ता को तत्काल वापस करे।

13. याचिका स्वीकार की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे

(अवनीश झिंगन), जे

एचएस/तनिषा/66

क्या रिपोर्ट योग्य है: हाँ

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी